



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 अग्रहायण, 1942 (श०)

संख्या- 609 राँची, सोमवार,

07 दिसम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

19 नवम्बर, 2020

संख्या-5/आरोप-1-41/2017-11551 (HRMS)-- मो० अफताब आलम, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-धनबाद) के विरुद्ध इनके प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लावालोंग, चतरा के पद पर कार्यावधि से संबंधित पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हजारीबाग के पत्रांक-24/भ्र०नि०, दिनांक 18.04.2017 द्वारा सूचित किया गया है कि भ्र०नि० थाना, हजारीबाग कांड सं०-20/17 के प्राथमिकी अभियुक्त मो० आलम को परिवारी संतोष कुमार से 6,000/- (छः हजार) रुपये रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हजारीबाग टीम के द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

उक्त के आलोक में मो० आलम को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण विभागीय आदेश सं०-5959, दिनांक 04.05.2017 द्वारा हिरासत में लिये जाने की तिथि 13.04.2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया एवं विभागीय पत्रांक-6371, दिनांक 19.05.2017 द्वारा उपायुक्त, चतरा से मो० आलम के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में आरोप की माँग की गई। मो० आलम के विरुद्ध दर्ज उक्त थाना कांड में विधि विभाग, झारखण्ड के आदेश सं०-29/जे०, दिनांक 22.06.2017 द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी।

न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के पश्चात् मो० आलम द्वारा दिनांक 17.07.2017 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया, जिसके फलस्वरूप मो० आलम का योगदान स्वीकृत करते विभागीय आदेश सं०-8607, दिनांक 03.08.2017 द्वारा उन्हें अगले आदेश तक पुनः निलंबित किया गया तथा इनका मुख्यालय-आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग निर्धारित किया गया।

उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-447/स्था०, दिनांक 10.07.2018 द्वारा मो० आलम के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नांकित आरोप प्रतिवेदित किये गये-

आरोप सं०-1- मो० अफताब आलाम, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लावालोंग को ACB द्वारा दिनांक 13.04.2017 को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

आरोप सं०-2- परिवादी श्री संतोष कुमार, पिता-श्री नन्दकिशोर यादव एवं इनकी पत्नी अनिता देवी, ग्राम-पोटम, पो० थाना- लावालोंग के डोभा निर्माण का आनलाईन DPR स्वीकृत होने के बावजूद मो० आलम ने संचिका में प्रशासनिक स्वीकृति देने के एवज में 6,000/- रुपये की माँग की। प्रतिवेदन वर्तमान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लावालोंग द्वारा भेजा गया है।

आरोप सं०-3- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत वित्तीय तथा प्रक्रियागत अनियमितता एवं स्वेच्छाचारिता बरतते हुए लाभुकों को योजना राशि के भुगतान के लिए FTO Sign में विलंब करना।

आरोप सं०-4- मनरेगा एक्ट तथा सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल कार्य करते हुए मनरेगा योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु लाभुक से रिश्वत की माँग करना।

मो० आलम के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8143, दिनांक 01.11.2018 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में मो० आलम के पत्र दिनांक 25.02.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया, जिसके समीक्षोपरांत अधिसूचना सं०- 2457(HRMS), दिनांक 31.05.2019 द्वारा मो० आलम को निलंबन से मुक्त करते हुए विभागीय संकल्प सं०-2575(HRMS), दिनांक 06.06.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-361, दिनांक 27.12.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा मो० आलम के विरुद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

इसी बीच, मो० आलम के पत्रांक-491, दिनांक 26.05.2020 द्वारा एक अभ्यावेदन समर्पित कर ए०सी०बी० हजारीबाग थाना कांड सं०-20/17, दिनांक 13.04.2017 में माननीय विशेष न्यायाधीश, ए०सी०बी०, हजारीबाग द्वारा दिनांक 28.02.2020 को पारित न्यायादेश में उन्हें बाईज्जत बरी करने की सूचना दी गई।

मो० आलम द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में उक्त वाद की अद्यतन स्थिति बेवसाईट से डाउनलोड किया गया, जिसमें Acquitted अंकित किया गया है।

मो० आलम से प्राप्त अभ्यावेदन एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि मो० आलम के विरुद्ध गठित चार आरोपों में तीन आरोप (आरोप सं०-

1, 2 एवं 4) भ्र0नि0 हजारीबाग थाना कांड सं0-20/2017 से संबंधित है एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा तीनों ही आरोपों को प्रमाणित नहीं प्रतिवेदित किया गया है एवं माननीय विशेष न्यायाधीश, ए0सी0बी0, हजारीबाग द्वारा भी उक्त मामले में उन्हें दोष मुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त आरोप संख्या-3, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत वित्तीय तथा प्रक्रियागत अनियमितता एवं स्वेच्छाचारिता बरतते हुए लाभुकों को योजना राशि के भुगतान के लिए एफ0टी0ओ0 साईन में विलंब का आरोप गठित किया गया है, संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप सही नहीं प्रतिवेदित किया गया है।

अतः संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए मो0 अफताब आलम, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लावालोंग, चतरा को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MD. AFTAB ALAM JHK/JAS/162	मो0 अफताब आलम, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लावालोंग, चतरा को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
